क्रमांक-11

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता लगातार भंग हो रही है इस संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को चर्चा में लिया जाए. आसंदी ने उन्हें सूचित किया कि "प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम सुन लेंगे".

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की मध्यप्रदेश की शासकीय डायरी एवं ऐप में अधिकारियों का ई-मेल एड्रेस अंकित न किये जाने,

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड 37 कृष्णा नगर रेल्वे कोच फैक्ट्री रोड से राजेन्द्र नगर तक की मुख्य मार्ग की चौड़ाई बढाई जाने,

(3) श्री शरद जुगलाल कौल, सदस्य की शहडोल जिले की ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गजभाही से ग्राम कीट पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री संजय यादव, सदस्य की प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी हेतु ऑनलाईन पंजीयन में सर्वर ठीक तरह कार्य न करने के कारण पंजीयन कराने में असुविधा होने,

(5) श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव, सदस्य की विदिशा तहसील के ग्राम पंचायत पठारी हवेली में गौवंश के संरक्षण हेतु निर्मित कराई गई गौशाला में गौमाता हेतु पानी, चारे एवं भूसे की व्यवस्था न हो पाने,

(6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सिहावल विधानसभा क्षेत्र में अनेक ग्राम व टोले मजरे विद्युतीकरण से वंचित होने,

(7) श्री रमेश मेन्दोला, सदस्य की शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को शुल्क की प्रतिपूर्ति न किये जाने,

(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा को जिला बनाये जाने,

(9) श्री शिवनारायण सिंह, सदस्य की ग्राम पंचायत घोघरी को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने तथा

(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश में लगातार छोटे बच्चों एवं आम नागरिकों को कुत्ते काटने की घटनाओं में वृद्धि होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख एवं बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि –

पिछले 2 दिनों से लगातार 10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग हो रही है. दोषियों को पकड़ा भी गया है. प्रदेश के 20 लाख परीक्षार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है. शासन इसे रोके और बच्चों से दोबारा फीस न ली जाए.

दतिया सहित पूरे प्रदेश के 13-14 जिलों में ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गया है. शासन की तरफ से अभी तक सर्वे भी प्रारंभ नहीं हुआ है. राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार हड़ताल पर हैं. किसानों में हाहाकार मचा हुआ है.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि बहिर्गमन करना विपक्ष का अधिकार है परन्तु कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ एवं श्री दिग्विजय सिंह ओला पीड़ितों के बीच में नहीं गये हैं जबकि हमारे मुख्यमंत्री इस वक्त ओला पीड़ितों के लिए बैठक ले रहे हैं. विपक्ष राजनीतिक उद्देश्य के लिए सदन का दुरूपयोग करता है और इनका जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है.

(डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग होने और ओलावृष्टि पर सरकार की तरफ से कोई कदम न उठाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 6 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, इनमें माननीय सदस्यों की मांग पर दिनांक 17 मार्च, 2023 की कार्यसूची में उल्लिखित 4 सूचनाएं पुन: सम्मिलित की गई हैं. मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री अर्जुन सिंह काकोड़िया, संजय सत्येन्द्र पाठक, नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण ने सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु लगे प्रतिबंध को हटाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. डॉ. कुँवर विजय शाह ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री रामविचार नेताम, सांसद एवं पूर्व मंत्री की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया गया.

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

7. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) सर्वश्री शरदेन्दु तिवारी, पंचूलाल प्रजापति, कुँवर सिंह टेकाम, सदस्यगण ने श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के डीन द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री विश्वास सारंग ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(3) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने पांचवीं एवं आठवीं की परीक्षा को बोर्ड पैटर्न से मुक्त रखे जाने संबंधी सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण पढ़ी नहीं गई.

(4) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने वर्ष 2006 से 2008 तक जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ न मिलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने चर्चा का उत्तर दिया.

(5) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई-हतनापुर रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

(6) श्री रमेश मेन्दोला, सदस्य ने शिक्षा के अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति न किये जाने संबंधी सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण पढ़ी नहीं गई.

8. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
(2) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)
(3) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(5) सुश्री चन्द्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
(6) श्रीमती सुनीता पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
(8) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(9) श्री नीरज विनोद दीक्षित (जिला-छतरपुर)
(10) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(11) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(12) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(13) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(14) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(15) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(16) श्री निलय विनोद डागा (जिला-बैतूल)
(17) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(18) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(19) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(20) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(21) श्री राज्यवर्द्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(22) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(23) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(24) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(25) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर शहर)
(26) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(27) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(28) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(29) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(30) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(31) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(32) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)

(33) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
(34) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना-चित्रकूट एवं विरसिंहपुर-चित्रकूट)
(35) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(36) श्री पारस चन्द्र जैन (जिला-उज्जैन)
(37) श्री रामलाल मालवीय (जिला-उज्जैन)

9. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

सभापति महोदय (श्री दिव्यराज सिंह) पीठासीन हुए.

(1) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) मांगों पर दिनांक 16 एवं 17 मार्च, 2023 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(9) श्री राम दांगोरे
(10) श्री नारायण सिंह पट्टा
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार

(अपरान्ह 1.30 बजे से 3.06 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(12) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
(13) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(14) श्री सुखदेव पांसे
(15) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(16) श्री पांचीलाल मेड़ा
(17) श्री राकेश मावई
(18) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(19) डॉ. हिरालाल अलावा
(20) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह
(21) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा नर्मदा घाटी विकास तथा श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य के लिए नौ हजार तीन सौ इक्यावन करोड़, तिरानवे लाख, पचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ बत्तीस करोड़, छियानवे लाख, अट्ठावन हजार रुपये,

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री विनय सक्सेना

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री हरिशंकर खटीक
(3) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (भाषण एवं चर्चा अपूर्ण)

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2023 (30 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 20 मार्च, 2023